

**आदेश पत्रक**

केश का प्रकार - दाखिल खारीज  
 अभिलेख संख्या - 125/16/12

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

125/16

श्री. शंका हर्ता पिता क. हर्ता  
 ग्राम अमरपुरवरी अंचल देवरी जिला  
 गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यारे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री मसौगर भुलिया  
 पिता फुचो हर्ता ग्राम अमरपुरवरी  
 अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 7229  
 दिनांक 7.12.86 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
अमरपुरवरी	252	44	701	0150
			910	0350
				0450

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 3/6/16 को उपस्थापित करें।

नए पदाधिकारी का नाम शंका हर्ता है जो अमरपुरवरी ग्राम में निवासी है।  
 जल के कायम पूर्व से पंजी 27 में दर्ज है।  
 अभिलेख संख्या 125/16/12 के अन्तर्गत उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,  
 देवरी।

अंचल अधिकारी,  
 देवरी।

3/6/16  
30/5/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी ॥ के भेलूम संख्या... 1 के पृष्ठ संख्या 56 पर विक्रेता के दावे के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एवं सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्रीमति भोला महतो पिता/पति बोखी महतो ग्राम जगरपुरा के नाम किया किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
जगरपुरा	252	701	01.50	15 पैठा
		910	03.50	
			04.50	

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एवं संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

महोदय  
अंचल अधिकारी  
देवरी